

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी(राज०)

प्रार्थना-पत्र संख्या :-14 / 2025  
CMS NO:- 2025/149

दायर दिनांक- 26.6.2025  
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती प्रीति मीणा

मुकेश कुमार आ० माणकचन्द जाति महाजन नि० करवर तहसील नैनवाँ।

प्रार्थी

बनाम

भूमिधारी श्रीमान तहसीलदार साहब, नैनवाँ तहसील नैनवाँ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र:- अंतर्गत धारा 128 एल आर एक्ट

उपरिस्थिति:-

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुमार जैन।

निर्णय दिनांक 26.6.2025

:-निर्णय:-

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम कल्याणीखेडा प.म. कुम्हारिया तहसील नैनवाँ में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 178/281 रकबा 1.6180 हैक्टर भूमि स्थित है जिसका इन्द्राज जमाबन्दी संवत् 2076-2079 के खाता संख्या नया 72 पुराना 64 में हो रहा है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित भूमि पर बहैसियत खातेदार कृषक निरंतर निर्बाध कब्जा काश्त हक अधिकार आधिपत्य प्रार्थी का ही चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित भूमि के पड़ोसी खातेदार उक्त भूमि की बाउण्ड्री सीमा को लेकर विवाद करने पर आमादा हो रहे हैं, प्रार्थी ने उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाये जाने हेतु दिनांक 06.06.2025 को अप्रार्थी के कार्यालय में आवेदन किया था जिस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 09.6.2025 को सीमाज्ञान किया जाकर रिपोर्ट अप्रार्थी के कार्यालय में पेश कर दी थी। सीमाज्ञान उपरान्त प्रार्थी ने पत्थरगढी करने हेतु अप्रार्थी से दिनांक 11.06.2025 को निवेदन किया तो अप्रार्थी ने दिनांक 13.06.2025 को सक्षम न्यायालय से पत्थरगढी का आदेश लाने हेतु प्रार्थी को आदेशित किया। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी, सीमाज्ञान रिपोर्ट पेश कर धारा 128 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। एकपक्षीय बहस सूनी गयी। प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता की बहस, पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों, सीमाज्ञान रिपोर्ट्स का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 178/281 का सीमाज्ञान दिनांक 09.06.2025 को पटवारी हल्का कुम्हारिया द्वारा नायब तहसीलदार करवर के आदेश से किया जा चुका है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवाँ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता है कि ग्राम कल्याणीखेडा प. म. कुम्हारिया तहसील नैनवाँ में खसरा नम्बर खसरा नम्बर 178/281 रकबा 1.6180 हैक्टर भूमि पर प्रार्थी का यदि संपूर्ण हिस्से पर कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू-अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर 500/- रुपये अक्षरे पांच सौ रुपये शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
नैनवा